दिनांक 14.07.2015 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

1. <u>खरीफ अभियान, 2015</u>

1.1 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री विधि से धान प्रत्यक्षण की प्रगति बेगूसराय, नवादा, बांका एवं जमुई जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। बक्सर, गया, वैशाली, सुपौल, किशनगंज एवं कटिहार में 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई है। बेगूसराय, नवादा, बांका एवं जमुइ जिला के साथ ही अन्य जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि श्री विधि एवं अन्य कार्यक्रमों में राज्य स्तर पर संकलित प्रतिवेदन अद्यतन नहीं है। विचार–विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि जिला के द्वारा प्रमाणिक ऑकड़े समय से नहीं भेजा जाता है। यह भी पाया गया कि जिलों को ऑनलाईन ऑकड़ों को भेजने की पूरी जानकारी नहीं है। यह सुझाव दिया गया कि बामेति द्वारा जिला के कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा मुख्यालय के सभी योजनाओं के प्रभारी के कोषांग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाय। प्रशिक्षण के आयोजन में समन्वय का कार्य विभागीय आई.टी. मैनेजर करेंगे। अगली बैठक से सभी अद्यतन ऑकड़े ही समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे।

(कार्यान्वयन– निदेशक, बामेति, सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं आई.टी. मैनेजर, कृषि विभाग)

1.2 समीक्षा के क्रम में बताया गया कि श्री विधि एवं अन्य प्रत्यक्षण किट में शिकायतें आ रही हैं। मुख्य शिकायत यह है कि अनुशंसित उपादान किसानों के द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है बल्कि डीलर जाली विपत्र प्रस्तुत कर रहें है। सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) तथा जिला कृषि पदाधिकारी स्वयं जाकर एवं वरीय पदाधिकारी को क्षेत्र में भंजकर इसकी जॉच करें। उपादान वितरित करने वाले डीलरों की भी जॉच की जाय। जहॉ–जहॉ गड़बड़ी हुई है, वहॉ कार्रवाई की जाय तथा प्रतिवेदन मन्तव्य के साथ दस दिनों के अन्दर कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यान्वयन– सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.3 धान से सीधी बुआई प्रत्यक्षण की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि जिला में वितरित राजेन्द्र मंसूरी प्रभेद के बीज का अंकुरण नहीं होने के कारण कृषकों को पुनः सहभागी प्रभेद का बीज दिया जा रहा है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सुझाव दिया गया कि यदि उनके जिला में सरकारी योजना में वितरित धान बीज के अंकुरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुआ है तो वे अपने स्तर पर जिला कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के साथ तकनीकी कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्पष्ट प्रतिवेदन उप निदेशक(शष्य), बीज को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यान्वयन– उप निदेशक(शष्य), बीज एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.4 गैर सरकारी संस्था द्वारा श्री विधि से धान प्रत्यक्षण में की समीक्षा के क्रम में यह सुझाव दिया गया कि जिलों में आत्मा के स्तर पर स्वंयसेवी संस्था को एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर सूचीबद्ध कर लिया जाय तथा सुयोग्य स्वंयसेवी संस्था को प्रत्यक्षण का कार्य योजना गाइडलाईन के अनुसार दिया जाय। एन.जी. ओ. के माध्यम से कराये गये प्रत्यक्षण तथा विभाग के माध्यम से कराये गये प्रत्यक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा एवं अन्य के द्वारा यह बताया गया कि डी0वी0टी0एल0 के कारण श्री विधि जैसी योजनाओं में किसानों की अभिरूचि कम हो रही है। यह भी बताया गया कि डी०वी०टी०एल० में बैंक के स्तर पर काफी कठिनाई हो रही है।

(कार्यान्वयन– सभी परियोजना निदेशक, आत्मा एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.5 तनावरोधी धान प्रभेदों का प्रत्यक्षण अंतर्गत जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि जिला को स्वर्णासब–1 प्रभेद का बीज प्राप्त हुआ था, लेकिन किसान इसे नहीं ले रहे है। यह बताया गया कि यह प्रभेद खगड़िया जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इस प्रभेद को जिला कृषि पदाधिकारी प्रचारित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें। विकल्प के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी सहभागी प्रभेद का प्रत्यक्षण करा सकते है परन्तु इसके लिए शीध्र बिहार राज्य बीज निगम से समन्वय कर बीज की प्राप्ति आवश्यक है। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़ियॉ आवश्यकता का आकलन कर दो दिनों के अन्दर बीज की माँग बीज निगम से करेंगे।

(कार्यान्वयन– जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया, विपणन प्रमुख एवं बिहार राज्य बीज निगम)

1.6 संकर मक्का के साथ मूंग/उरद/ अरहर का अंतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण अंतर्गत उपलब्धि की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि अरहर बीज प्राप्त नहीं होने के कारण यह प्रत्यक्षण नहीं हो पाया है। संबंधित जिलों को निदेश दिया गया कि उरद या मूंग बीज से प्रत्यक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यान्वयन– जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी)

1.7 कृषि निदेशक, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी खरीफ अभियान अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय। यदि लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई है तो राशि को कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके लिए वैकल्पिक योजना तैयार की जाय। यदि मुख्यालय स्तर से वैकल्पिक योजना पर अनुमोदन की आवश्यकता है तो इसे स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव दस दिनों के अन्दर कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। यदि योजना गाइडलाईन के प्रावधान के अनुसार स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक योजना स्वीकृत की जा सकती है तो उसके अनुरूप अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(कार्यान्वयन– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. **वर्षापात एवं आच्छादन –**

2.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों यथा भोजपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, मधुबनी, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, प0 चम्पारण, एवं पूर्वी चम्पारण में वर्षा सामान्य से बहुत कम हुई है। डीजल अनुदान हेतु राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। इसका उपयोग करने, किसानों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार करने का निदेश दिया गया। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं अधिक से अधिक डीजल अनुदान वितरण करने का निदेश दिया गया। जितना आवेदन प्राप्त हो जाता है उसे अविलम्ब भुगतान करने का निदेश दिया गया। धान का शत–प्रतिशत आच्छादन कराने एवं प्रतिदिन 12.00 बजे मध्याह्न में वर्षापात एवं आच्छादन का प्रतिवेदन सांख्यिकी कोषांग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2.2 वर्षापात एवं अच्छादन की समीक्षा के क्रम में जिलों को निम्न सुझाव दिये गये,

- प्रखण्डस्तरीय वर्षापात तथा अच्छादन की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर वैकल्पिक योजना/आकस्मिक फसल योजना तैयार की जाय। इसके अनुरूप बीज की माँग उप निदेशक(शष्य), बीज तथा बिहार राज्य निगम को उपलब्ध कराया जाय।
- वैकल्पिक फसल योजना तथा वर्तमान परिस्थिति में किसानों के लिए सुझाव से संबंधित तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन आत्मा के माध्यम से किया जाय।

- जिला के कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिक संयुक्त रूप से गाँवों का भ्रमण करें तथा किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये।
- डीजल अनुदान कार्यक्रम का प्रपत्र एवं अनुदेश किसानों को उपलब्ध कराये।

(कार्यान्वयन– उप निदेशक(शष्य), बीज एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी, सभी परियोजना निदेशक, आत्मा)

2.3 जिलों में उपलब्ध कराये गये ओलावृष्टि/चक्रवात से फसल क्षति की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधिकांश जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराये गये प्रथम आवंटन का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजा जाय **(कार्यान्वयन– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)**

3. बीज

3.1 हरी खाद योजनान्तर्गत गरमा 2015 में मूंग एवं ढैंचा बीज के वितरण एवं आच्छादन का रैण्डम सत्यापन प्रतिवेदन किसी भी जिला से प्राप्त नहीं हुआ है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को स्वयं, अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से इसका सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3.2 जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि स्वर्णा सब–1 एवं राजेन्द्र मंसूरी–1 बीज को विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत बी0आर0बी0एन0 द्वारा उपलब्ध कराया गया है का अंकुरण नहीं हो रहा है। कृषि निदेशक द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित बीज विक्रेताओं की जाँच की जाय एवं उनके भंडारण का सत्यापन कर यह पता किया जाय कि बीज कब का उत्पादित है एवं किस लॉट का है तथा जाँच प्रतिवेदन कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जाय।

3.3 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं मिनीकिट बीज का स्वीकृति आदेश एवं आवंटन जिलों को भेज दिया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को बीज कम्पनियों से विपत्र प्राप्त कर राशि की निकासी कोषागार से करने एवं अविलम्ब बीज कम्पनियों को भुगतान करने का निदेश दिया गया। उप निदेशक (शष्य) बीज को निर्देश दिया गया कि कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा जिन योजनाओं में बीज उपलब्ध कराया गया है। उसका विपत्र अविलम्ब जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करवाने हेतु कार्रवाई करें।

3.4 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा जानकारी दी गयी कि गत वर्षो के बकाया बीज अनुदान की राशि का आवंटन जिलों को भेज दिया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बीज कम्पनियों से सम्पर्क कर उनसे विपत्र प्राप्त कर लें एवं कोषागार से राशि की निकासी कर बीज कम्पनियों को अनुदान भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

3.5 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा यह सूचित किया गया कि बी0आर0बी0एन0 द्वारा जिलों को जो बीज आपूर्ति किया गया है एवं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में बहुत भिन्नता आ रही है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बीज आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता से सम्पर्क कर सही प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3.6 ढैंचा बीज का वितरण में रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, नवादा, बांका, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा जिला में अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि दिनांक 17.07.2015 तक सभी जिला कृषि पदाधिकारी अपना अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें कि ढैंचा बीज वितरण हो गया है या नहीं, यदि वितरण नहीं हुआ है तो वह भी प्रतिवेदित करें।

3.7 गरमा मूंग एवं ढैंचा बीज से लाभांवितों की सूची निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधान सचिव, कृषि के पत्रांक 3016 दिनांक 25.06.15 द्वारा दिनांक 01.07.2015 तक उपलब्ध कराने का